कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/द/एस.सी.एस.टी/पूमै/2013–14 दिनांक : 09-06-1

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय :– कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के संबंध में नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र–छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र–छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **10.08.2016** तक आवश्यक रुप भिजवाना सुनिश्चित करें।

1. योग्य पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार है :–

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो।
2. छात्र/छात्राऐं राजकीय विद्यालय अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक आयकर दाता न हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

2. छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/– प्र.माह(SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/– प्र.माह(SC व ST दोनों के लिए)

नोट :–कक्षा 9 व 10 हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. प्रस्ताव के संबंध में समयबद्व कार्यकम निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	जि.शि.अ.(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा अलग–अलग प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	10.08.2016

छात्र/छात्राओं को देय पात्रता अनुसार छात्रवृति के आवेदन पत्र भरने हेतु स्थानीय स्तर पर निःशुल्क जन हितार्थ प्रकाशन द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित करें तथा संस्था प्रधानों को भी पाबन्द करें कि छात्रवृति की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे।

4. (i) राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें। (ii) नवीन प्रवेशार्थी पात्र छात्र/छात्राओं से प्रवेश के साथ ही आवेदन पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई पात्र छात्र/छात्रा इस छात्रवृति से वंचित रहता है तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें। (iii) आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाये। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराने का भी प्रयास सुनिश्चित किया जाये। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का प्रयास करे। (iv) राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें। (v) आवेदन पत्र प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्न :– प्रपत्र एवं आवेदन पत्र

(बी.एल. स्वर्णकार)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्यलेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
4. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
5. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को समय पर प्रस्ताव भिजवाने हेतु पाबन्द करते हुए मॉनेटरिंग करने हेतु प्रेषित है।
6. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
7. प्रभारी प्रभाग 'ब' छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ।

09/6/16

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु प्रस्ताव

प्रपत्र

क्र. सं.	योजना का नाम	कक्षा 6 से 8			
		छात्र/ छात्रा	दर (प्रतिमाह)	संख्या	राशि (10 माह हेतु)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	अनुसूचित जाति	छात्र	75/–		
		छात्रा	125/–		
2.	अनुसूचित जनजाति	छात्र	75/–		
		छात्रा	125/–		

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना में वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र–छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। कोई भी छात्र–छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक

राजस्थान सरकार

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रवृति

आवेदन–पत्र

(सत्र 2016–2017 की छात्रवृति हेतु)

01. छात्र/छात्रा का नाम ....

02. जाति .... उपजाति ....

03. पिता का नाम व व्यवसाय ....

04. परिवार की कुल वार्षिक आय ....

05. प्रार्थी का निवास स्थान .... ग्राम .... पोस्ट .... तहसील ....

06. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
(अ) शाला का नाम ....स्थान..............................

(ब) पोस्ट ऑफिस ....तहसील.............................. जिला ....

07. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है ....

08. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि ....

09. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :– स्कूल का नाम .... स्थान.............................. पोस्ट ऑफिस..............................

10. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है ....

11. परीक्षा फल ....उत्तीर्ण .... अनुत्तीर्ण ....

12. बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या..............................

13. IFSC कोड.............................. भामाशाह कार्ड नं0 ....

गत परीक्षा में अंको/ग्रेड का विवरण

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड	क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान ....श्रेणी.............................. योग ....प्राप्तांक..............................

14. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–

(अ) कहां से मिलती है..............................(ब) कितनी मिलती है ....

(स) दर .... (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त ....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

01. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

: : संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र : :

01. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति .... है जो अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जाति/विमुक्त जाति/धुमक्कड़ जाति की गणना में आती है।
02. इनके परिवार की वार्षिक आय ....है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को ....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह .... से .... तक की छात्रवृति के कुल ....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद (मय सील सहित)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अ.पि.व/पूमै/विज्ञप्ति/2013–14/ दिनांक : 09-06-16

1. **निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग**
   राजस्थान, जयपुर
2. **निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग**
   राजस्थान बीकानेर
3. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी**
   (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय :– अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के संबंध में शासन के पत्रांक प.1(14)शिक्षा–1/2004 दिनांक 25.11.2009 के अनुसार नवीन निर्देश एवं पात्रता मानदण्ड तैयार किये गये थे। इन आदेशों की पालना में आप नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ. (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा निदेशालय को अलग–अलग भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्व कार्यक्रम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	**01.08.2016**
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	**05.08.2016**
3.	समेकित प्रस्ताव निदेशालय माध्यमिक को प्रस्तुत करना	**10.08.2016**

प्रात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैः–

A. आवेदन :

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईड **www.rajshiksha.gov.in** पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईड से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता/शर्ते :

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़े वर्ग की जाति की सूची में आवेदक छात्र/छात्रा की जाति का होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44500/– रूपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प.13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिलता हो।
5. कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. छात्रवृति स्वीकृत करते समय परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय के अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए छात्रवृति स्वीकृति पर विचार किया जावे।
8. छात्रवृति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जाना आवशयक है कि 30 प्रतिशत छात्राओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है।
9. छात्रवृति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि **सर्वप्रथम बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे,** यह कार्यवाही करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार ए.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जावे।

10. छात्रवृति के विस्तृत प्रचार–प्रसार की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाना सुनिश्चित की जावे ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ मिल सके।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थीयों हेतु निम्नांकित प्राथमिकता क्रम का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे :–
    1. बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
    2. ए.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
    3. निशक्तः विद्यार्थी
    4. विधवा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी
    5. तलाक शुदा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी

12. **छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :**

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/– प्र.माह
2	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/– प्र.माह

C. संलग्न दस्तावेज :–

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण पत्र बिन्दु संख्या B-3 के अनुसार (मूल)
2. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।
3. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है तो उनके कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं भामाशाह व आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. यदि आवेदक निशक्त/विधवा/तलाकशुदा महिला के पुत्र–पुत्री/विधवा महिला के पुत्र/पुत्री श्रेणी से संबंधित है तो संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा–जोखा संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में संधारित कर कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये। रजिस्टर में प्रविष्टि का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जांच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही उपरोक्त मानदण्ड/शर्तें एवं प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए तथा मांग राशि के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित **प्रपत्र 'अ'** में मय प्रमाण–पत्र के हार्ड कॉपी सहित मण्डल स्तर पर **दिनांक 10.08.2016** तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएगें।

नोट :– राज्य सरकार के आदेश कमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें तथा राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाये। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराना सुनिश्चित किया जाये। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का कार्य सुनिश्चित करे।

संलग्न :– प्रपत्र 'अ', 'ब', व आवेदन पत्र

(बी.एल. स्वर्णकार)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**
1. उपशासन सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. मुख्यलेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्। बाबत्।
5. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
6. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग ।
7. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा" को शिविरा पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. प्रभारी प्रभाग "ब" छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ।

09/6/16

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रपत्र–अ

/पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गयी राशि (कुल छात्र/ छात्रा संख्या x 400/–)	कक्षा 9 से 10			चाही गयी राशि (कुल छात्र / छात्रा संख्या x 500/–)	कुल मांग (कॉलम संख्या 6 एवं 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण–पत्र

"यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना मे वर्णित शर्तो के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है"।

हस्ताक्षर
जि.शि.अ.

प्रपत्र–ब

/पूर्व मैट्रिक ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति की सूचियां कार्यालय रिकोर्ड में संधारित रखने हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	माता / पिता / संरक्षक की वार्षिक आय	अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति	माता/ पिता/ संरक्षक की श्रेणी (बीपीएल/ एपीएल/ निशक्त/ विधवा/ तलाकशुदा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो

सत्र 2016–2017

1. छात्र/छात्रा का नाम : ....
2. जन्मतिथि (अंको में) : ....
(शब्दो में) : ....
3. पिता का नाम : ....
4. माता का नाम : ....
5. निवासी : (1) राजस्थान
(2) जिले का नाम..
6. अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति का नाम : ....
7. माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (गत सत्र की वार्षिक आय भरें) : ....
8. माता–पिता/संरक्षक की श्रेणी : 1. बीपीएल 2. निःशक्त 3. विधवा 4. तलाकशुदा
9. माता–पिता/संरक्षक आयकरदाता : है / नहीं
10. गत उत्तीर्ण की गई कक्षा : ....
11. गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक :

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत या ग्रेड

वर्तमान कक्षा में अनुतीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र छात्रवृति पाने के लिए अपात्र होगें।

12. गत कक्षा में अध्ययनरत रहे विद्यालय का नाम एवं पूरा पता : ....
....

13. **स्थायी पता :–**

छात्र/छात्रा का नाम : ....

गांव.............................पोस्ट...............................

वाया............................जिला.............................

फोन नं. मय STD कोड.................................

मोबाईल नं...

14. **बैंक का नाम** : ....

खाता संख्या : ....

IFSC कोड : ....

भामाशाह कार्ड संख्या : ....

आधार कार्ड संख्या : ....

<u>माता–पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा</u>

मैं घोषणा करता हूँ कि :–

योजना संबंधी सभी नियमों /निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत तथ्यों (संलग्न दस्तावेजो) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर **छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर**

<u>संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा .... पुत्र/पुत्री .... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पूर्ण जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमे अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2016–17 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अस्वच्छ छात्रवृति/2016–17 दिनांक : 09-06-16

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय :– **"सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृति की योजना" के तहत सत्र 2016–17 के छात्रवृति प्रस्ताव भिजवाने बाबत।**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ.9(4)()छात्र/अस्व./सा.न्या.अ.वि/11-12/32594–95 दिनांक 24.04.12 एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11017/05/ 2012–SCD-V दिनांक 04.04.12 के अनुसार इस पत्र के साथ **संलग्न प्रपत्र–I/II** में सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति के वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने है। भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृति के लिए संशोधित दरें/दिशा–निर्देशों की प्रति आपको पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/अनु/छात्रवृति/उमै/अस्वच्छ/25210/09–10 दिनांक 01.07.09 के द्वारा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है।

उक्त छात्रवृति हेतु गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव संलग्न PART-II में तथा वर्ष 2015–16 में हुए वास्तविक व्यय की सूचना PART-I में छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को निम्न तिथि क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें :

आप अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) द्वारा अलग–अलग निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

::चरणबद्व कार्यक्रम ::

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	**01.08.2016**
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	**05.08.2016**
3.	वर्ष 2016–17 के लिए पात्र छात्र–छात्राओं की मांग राशि के प्रस्ताव **(प्रपत्र–II में)**	**10.08.2016**
4.	वर्ष 2015–16 में हुए वास्तविक व्यय की सूचना **(प्रपत्र–I में)**	

पुनः निर्देशित किया जाता है कि संशोधित दिशा–निर्देश एवं निर्धारित दरों के अनुसार आपके जिले के समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में निर्धारित तिथि तक वाहक के साथ **दिनांक 10.08.2016 तक** भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार को समेकित प्रस्ताव भिजवाये जा सके व प्रपत्र–ब में सूचना कार्यालय रिकार्ड में संधारित करें।

सूचना के अभाव में आपकी मांग को प्रस्ताव में शामिल नही किया जा सकेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

नोट :–राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाये। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराना सुनिश्चित किया जाये। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का कार्य सुनिश्चित करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(बी.एल. स्वर्णकार)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेरको भेजकर लेख है कि आपके विभाग के समेकित प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रों में भिजवाने का श्रम करें। ।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके विभाग के समेकित प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रों में भिजवाने का श्रम करें।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
6. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को समय पर प्रस्ताव भिजवाने हेतु पाबन्द करते हुए मॉनेटरिंग करने हेतु प्रेषित है।
7. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
8. लेखाधिकारी (बजट) कार्यालय हाजा।
9. प्रभारी प्रभाग "ब"
10. गार्ड पंजिका।

09/6/16

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रपत्र—ब

"सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना"की सूचियां कार्यालय रिकोर्ड में संधारित रखने हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	अस्वच्छ कार्य का पूर्ण विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	10

PART-I

CENTRALLY SPONSORED SCHEME OF PRE MATRIC SCHOLARSHIP TO THE CHILDREN OF THOSE ENGAGED IN UNCLEAN OCCUPATIONS

POSITION FROM 2015-16

A. Actual Physical Coverage :

1. Number of Government recognized scholars/institutions in which Pre Matric Scholarship Scheme was implemented during 2015-16.
2. Total number of hostels where the hostellers were staying during 2015-2016
a) Government Hostels
b) Other Govt. recognized and deemed hostels
c) Rented Premises Utilized as recognized hostels
Total (a) to (c) =
3. Total number of hostellers (Class III to X) covered under the Scheme during 2012-13 Classes

	III-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				III-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

4. Total number of day scholars (Class I to X) covered under the Scheme during 2015-16 Classes :

	I-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				I-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

B. FINANCIAL ASPECTS **(Rs. in Lakhs)**

I	HOSTELLERS	
(a)	**On Scholarships**	
(i)	Classes III to X @ Rs. 700/- per month	=
(ii)	Adhoc grand of Rs. 1000/- per annum	=
(iii)	Total Classes III to X	=
(b)	**On Other Items**	
(i)	Number of buildings rented for use as Hostels, other than Govt. hostels	=
(ii)	Total amount of rent for these rented building	=
(iii)	Salary of full time hostel warden/honorarium or extra remuneration to the school teacher if appointed as hostel warden	=
(iv)	Total = (i) to (iii)	=
	Total Expenditure on Hostellers (a)+(b)	=
II	**DAY SCHCOLARS**	
(i)	Classes III to X @ Rs. 110/- per month	=
(ii)	Adhoc grant or Rs. 750/- per annum	=
(iii)	Total Classes III to X	=
III	**Total Expenditure under the Scheme during 2015-2016 (1+2)**	
1.	Expenditure on arrears for 2015-2016 (if any)	=
2.	Total expenditure during 2015-2016 (including arrears for 2014-2015 (cl. 3+4)	

Certified that the expenditure figures furnished above confirm to the actual payments as per regulations governing toward of Pre-Metric Scholarship to the children of those engaged in unclean occupations, as application w.e.f. 1.4.2008

Name & Designation of
the Competent Authority

PART-II

PROPOSAL FOR 2016-17

A. Physical Coverage's :

1. Total number of hostels where the hostellers were staying during 2016-2017
   a) Government Hostels =
   b) Other Govt. recognized and deemed hostels =
   c) Rented Premises Utilized as recognized hostels =
   Total (a) to (c) =

2. Class wise Number of **Hostellers**

Classes

	III-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				III-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

3. Class wise number of **DAY SCHOLARS**

Classes

	I-V				VI-VIII			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

	IX-X				I-X			
	SC	ST	Other	Total	SC	ST	Other	Total
Male								
Female								
Total								

B. FINANCIAL ASPECTS (Rs. in Lakhs)

Anticipated Expenditure during 2016-2017

1	**HOSTELLERS**	
(a)	On Scholarships	
(i)	Classes III to X @ Rs. 700/- per month	=
(ii)	Adhoc grand of Rs. 1000/- per annum	=
(iii)	Total Classes III to X	=
2	**On Other Items**	
(i)	Number of buildings rented for use as Hostels, other than Govt. hostels	=
(ii)	Total amount of rent for these rented building	=
(iii)	Salary of full time hostel warden/honorarium or extra remuneration to the school teacher if appointed as hostel warden	=
(iv)	Total = (i) to (iii)	=
	Total Expenditure on Hostellers (a)+(b)	=
II	**DAY SCHCOLARS**	
(i)	Classes III to X @ Rs. 110/- per month	=
(ii)	Adhoc grant or Rs. 750/- per annum	=
(iii)	Total Classes I to X	=
III	**HOSTELLERS + DAY SCHOLARS**	
(i)	Total Expenditure under the Scheme during 2016-2017 (1+2)	=
(ii)	Expenditure on arrears for 2015-2016 (if any)	=
(iii)	Total expenditure during 2016-2017 (including arrears for 2015-2016 (cl. 3+4)	
(iv)	Committed Liability i.e. Total actual expenditure reached at the end of Xth Plan (2006-2007)	=
(v)	Amount of State/UT Budget provision towards Committed liability requirement	=
(vi)	Central Assistance due during 2015-16 (iii)+(iv)	=
(vii)	Central Assistance already received during 2014-2015 if any,	=
(viii)	Unspent central assistance at the end of 2015-16/ Arrears due	
(ix)	Net Central Assistance required during 2016-17 {(vi)-(vii)-(viii)}	=

Name & Designation of
the Competent Authority

राजस्थान सरकार

"सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृति योजना" हेतु

आवेदन–पत्र

(सन् 2016–2017 की छात्रवृति हेतु)

01. छात्र / छात्रा का नाम ....

02. जाति .... उपजाति ....

03. पिता का नाम व व्यवसाय ....

04. पिता के अस्वच्छ कार्य का पूर्ण विवरण ....

05. परिवार की कुल वार्षिक आय ....

06. प्रार्थी का निवास स्थान .... ग्राम .... पोस्ट ....
तहसील ....जिला ....

07. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र / छात्रा पढ़ रहा / रही है।
(अ) शाला का नाम ....स्थान..
(ब) पोस्ट ऑफिस ....तहसील.................................... जिला ....

08. कक्षा जिसमें छात्र / छात्रा पढ़ रहा / रही है ....

09. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि ....

10. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र / छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :– स्कूल का नाम ....
.... स्थान................................. पोस्ट ऑफिस..

11. कक्षा जिसमें छात्र / छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है ....

12. परीक्षा फल ....उत्तीर्ण .... अनुत्तीर्ण ....

गत परीक्षा में अंको / ग्रेड का विवरण

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक / ग्रेड	क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक / ग्रेड
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान ....श्रेणी......................... योग ....प्राप्तांक.......................

13. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–

(अ) कहां से मिलती है..(ब)कितनी मिलती है ....

(स) दर .... (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त ....

हस्ताक्षर छात्र / छात्रा

14. बैंक का नाम : ....

खाता संख्या : ....

IFSC कोड : ....

भामाशाह कार्ड संख्या : ....

आधार संख्या : ....

(2)

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

01. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

: : **संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र** : :

01. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा के पिता .... का कार्य करते है जो कार्य अस्वच्छकार कार्यो की श्रेणी में आता है।
02. इनके परिवार की वार्षिक आय ....है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को ....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह .... से .... तक की छात्रवृति के कुल ....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद (मय सील सहित)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./स–I/60133/**वि.पि.वर्ग**/पूमै/2016–17 दिनांक 09-6-16

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय :– विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

राजस्थान सरकार, के पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा–1/2011 दिनांक 20.05.2011,पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा–1/2011 दिनांक 12.07.2011एवं 05.01.12 द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग[**1. बंजारा, बालदिया, लावाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया, 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)**,के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति वितरण करने के निर्देशानुसार नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओंके समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्व कार्यकम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्व कार्यकम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	**01.08.2016**
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	**05.08.2016**
3.	जि.शि.अ. द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	**10.08.2016**

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं:–

A. आवेदन :

विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईड www.rajshiksha.gov.inपर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईड से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता :

1. विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता–पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000(दो लाख) रूपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प.13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुर्त्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
6. छात्रवृति दरें निम्नानुसार है :

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/– प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/– प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/– प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/– प्र.माह

C. संलग्न दस्तावेज :–

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की मूल/सत्यापित फोटो प्रतियां ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण–पत्र बिन्दु संख्या B-3 के अनुसार (मूल)
2. जाति प्रमाण–पत्र
3. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।

आपके कार्यालय में शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राप्ति रजिस्टर संधारण किया जावें। रजिस्टर में प्रविष्ट का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। आवेदन पत्र की गहनता से जॉच की जाए एवं जांच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही छात्रवृति स्वीकृति की कार्यवाही की जाएं। **छात्र/छात्राओं से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र "अ" में कार्यालयरिकार्ड में सुरक्षित रखें जावें। एवं माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय द्वारा अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करने है।**

ऊपर अंकित पात्रता मानदण्डों, निर्देशों एवं शर्तो का गहनता से अध्ययन कर तत्काल अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों को दिशा–निर्देश जारी करते हुए छात्र/छात्राओं के आवेदन प्राप्त कर **आपके जिले के प्रस्ताव प्रपत्र "ब"मे मय प्रमाण–पत्र के हार्ड कॉपी मय सीडी सहित वाहक स्तर पर दिनांक 10.08.2015 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें**।यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएगें।

नोट :– राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :–प्रपत्र 'अ' व 'ब', आवेदन पत्र

(बी.एल.स्वर्णकार)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./स–I/60133/**वि.पि.वर्ग**/पूमै/2016–17 दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. उपशासन सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अपने विभाग के समेकित प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग राज. जयपुर को अपने विभाग के समेकित प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु।
5. मुख्यलेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
6. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
7. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग ।
8. सिस्टम एनालिस्ट. कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
9. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को शिविरा पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. प्रभारी प्रभाग "ब" छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ।

9/6/16

सहायक निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रपत्र–अ

(विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्रवृति की सूचियां जि.शि.अ. कार्यालय रिकार्ड में संधारित रखने का प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जाये)	माता / पिता / संरक्षक की वार्षिक आय	विशेष पिछड़ा वर्ग में जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र – ब

(मांग राशि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8			चाही गई राशि	कक्षा 9 से 10			चाही गई राशि	कुल मांग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग		छात्र	छात्रा	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण–पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि योजना मे वर्णित शर्तो के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर
जि.शि.अ (माध्य.)

राजस्थान सरकार

विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा,बालदिया,लावाना / गाडिया लोहार,गाडोलिया / गुजर,गुर्जर / राईका,रेबारी,देबासी)

आवेदन–पत्र

(सत्र 2016–2017 की छात्रवृति हेतु)

आवेदक अपना नवीन फोटो चिपकाएं

01. छात्र / छात्रा का नाम ....

02. जाति .... उपजाति ....

03. पिता का नाम व व्यवसाय ....

04. परिवार की कुल वार्षिक आय ....

05. प्रार्थी का निवास स्थान .... ग्राम .... पोस्ट .... तहसील ....

06. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र / छात्रा पढ़ रहा / रही है।

(अ) शाला का नाम ....स्थान..

(ब) पोस्ट ऑफिस ....तहसील................................ जिला ....

07. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि ....

08. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र / छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :–

स्कूल का नाम .... स्थान...

09. कक्षा जिसमें छात्र / छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है ....

10. परीक्षा फल ....उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण ....

गत परीक्षा में अंको का विवरण

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान ....श्रेणी.............................. योग ....प्राप्तांक.........................

11. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :–

(अ) कहां से मिलती है...(ब)कितनी मिलती है ....

(स) दर .... (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त ....

12. बैंक का नाम : ....

खाता संख्या : ....

IFSC कोड : ....

भामाशाह कार्ड संख्या : ....

आधार कार्ड संख्या : ....

माता–पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :–योजना संबंधी सभी नियमों / निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत तथ्यों (संलग्न दस्तावेजो) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर **छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर**

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण–पत्र

01. मै प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग या राजकीय या स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नही रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

: : संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण–पत्र : :

01. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति .... है जो विशेष पिछड़ी जाति की गणना में आती है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को ....रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह .... से .... तक की छात्रवृति के कुल ....रुपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद (मय सील सहित)

नोट :– जाति के कॉलम नं. 2 बंजारा,बालदिया,लावाना/गाडिया लोहार,गाडोलिया/गुजर, गुर्जर /राईका, रेबारी, देबासी आदि लिखना अत्यन्त आवश्यक है तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा–6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावें।